छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 22.10.2010

क्रमांक एफ 20–118/2009/11/(6)– राज्य शासन एतद द्वारा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने, निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये कार्य को महत्ता प्रदान करने, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने एवं वृहद/मेगा/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट से संबंधित उद्योगों में औद्योगिक सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009'' प्रभावशील करता है।

1– नाम :–

(1) इस योजना का नाम ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009'' है ।

(2) योजना का क्रियान्वित करने वाले नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में राजपत्र में प्रकाषन दिनांक से प्रभावषील होंगे।

2– परिभाषा :–

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो **''सूक्ष्म एवं लघु उद्योग''** से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गयी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आती हों तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हों ।

वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी एवं निर्यात के संबंध में निर्यातक उद्योग/100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग की वहीं परिभाषाएं मान्य होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में दी गई हैं।

(ब) ''राज्य स्तरीय समिति'' से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है।

3– पात्रता :–

3.1 इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार श्रेणियों में पुरस्कार दिये जायेंगे :–

क्र.	**निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों का वर्गीकरण**	**विशिष्ट क्षेत्र**
(1)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	सभी गुणों को शामिल करते हुये
(2)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	निर्यात संवर्धन
(3)	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	पर्यावरण संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण

क्र.	निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों का वर्गीकरण	विशिष्ट क्षेत्र
(4)	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	सभी गुणों को शामिल करते हुये
(5)	महिला उद्यमी	महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन
(6)	वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नियमों का पालन

3.2 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों में संबंधित वर्ग के उद्यमी ही भाग ले सकेंगे ।

3.3 किसी भी उद्योग को केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

3.4 किसी एक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त उद्योग को आगामी वर्षों में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

3.5 पुरस्कारों हेतु उद्योगों को न्यूनतम 02 वर्ष तक उत्पादन में रहना अनिवार्य होगा ।

3.6 संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को पुरस्कारों की पात्रता नहीं होगी ।

4— सम्मान का स्वरूप :—

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत उपरोक्त सभी पुरस्कारों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जावेगा जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि ₹ 1,00,000/—, द्वितीय पुरस्कार की राशि ₹ 51,000/— एवं तृतीय पुरस्कार की राशि ₹ 31,000/— होगी । पुरस्कारों के साथ इकाईयों को प्रशस्ति—पत्र भी दिया जायेगा ।

5— राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति निम्नानुसार होगी :—

(1)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
(2)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर	सदस्य
(4)	निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर	सदस्य
(5)	नेशनल स्माल इण्डस्ट्री कार्पोरेशन, रायपुर के प्रमुख	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(8)	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	सदस्य
(9)	आयुक्त, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग से संबंधित हो	सदस्य
(10)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि उपरोक्त पुरस्कारों हेतु किन्ही 02 व्यक्तियों, जो वित्त, औद्योगिक प्रबंधन व अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हो, को सदस्य के रूप में मनोनीत करें ।

6— चयन के मापदण्ड :—

मानदण्ड

(1) वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन का अनुपात
(2) निवेश पर लाभ का प्रतिशत
(3) उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं यंत्र संयंत्र रखरखाव
(4) गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पाद विकास
(5) निर्यात और आयात स्थानापन्न
(6) उद्यम का प्रबंधन
(7) कर्मचारी कल्याण
(8) स्थानीय / भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार
(9) पर्यावरण संरक्षण
(10) राज्य के मूल निवासियों को रोजगार संबंधी नियमों का पालन
(11) प्लांट में सुरक्षा हेतु किये गये उपाय
(12) उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये उपाय
(13) रिस्क फेक्टर
(14) राज्य के लिये नवीन उद्योग

समिति पुरस्कार के क्षेत्र के अनुरूप उपरोक्त मानदण्डों में से पुरस्कार अनुसार मापदण्ड निर्धारित करेगी ।

7— चयन प्रक्रिया :—

(1) उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु दिनांक 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे । उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा अपरिहार्य स्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) पुरस्कार हेतु उद्योगों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन आवश्यक सहपत्रों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी एक प्रति आवश्यक जांच पश्चात् जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत सहित उद्योग संचालनालय को प्रेषित की जावेगी। उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन–पत्र राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु चयन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे । यह समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु उद्योगों का चयन करेगी । समिति यदि आवश्यक समझे तो किसी आवेदक से या उसके संबंध में किसी अन्य स्त्रोत से अतिरिक्त जानकारी /पुष्टि प्राप्त कर सकेगी /स्थल निरीक्षण भी कर सकेगी ।

8— पुरस्कार की घोषणा :—

राज्य स्तरीय समिति, चयनित उद्योगों का नाम, उद्योग संचालनालय के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगी । प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयनित उद्योगों की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग करेगा ।

9— पुरस्कार समारोह :—

पुरस्कार हेतु एक समारोह का आयोजन किया जावेगा जिसमें चयनित उद्योग के मालिक/ भागीदार/ प्रतिनिधि आमंत्रित किये जायेंगे । मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति—पत्र दिया जावेगा । समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी ।

10— नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा । इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी । ऐसे विषय जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी सचिव को होंगे ।

11— वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 404/सी.एन. 29981/बजट—5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/—
(सरजियस मिंज)
अपर मुख्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग